

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION-3 SUB-SECTION(ii)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the 1st February, 1999

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. (E) - In exercise of the powers conferred by sub-sections(1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance S.O. 548(E) dated 9th July, 1990 published in the Gazette of India Extraordinary Part-II section 3 sub-section(ii) dated 9th July, 1990 namely:

In the schedule to the said notification, for serial number 27 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

- "27. Director General of Calcutta (i) Director of Income-tax
Income-tax(Inv.) (Inv.), Calcutta.
East, Calcutta
- (ii) Commissioner of Income-tax(Central)-I,
Calcutta.
- (iii) Commissioner of Income-tax(Central)-II,
Calcutta.
- (iv) Commissioner of Income-tax(Central), Patna."

Notification No. 10779

Promila Bhardwaj
1/2/99

(PROMILA BHARDWAJ)

Deputy Secretary to the Govt. of India

(F.No. 187/1/99-ITA-I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi

भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-11, खण्ड-3, उपखण्ड 1111 में प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी, 1999

अधिसूचना

आयकर

का० आ० आयकर अधिनियम, 1961 का 43 की धारा 120 की
उपधारा 11 और 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर
बोर्ड द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 1990 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-11, खण्ड
3, उपखण्ड 1111 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 9 जुलाई,
1990 की अधिसूचना का० आ० 548 आय में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है

अर्थात् -

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के
स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

27 आयकर महानिदेशक (आंच), कलकत्ता आयकर निदेशक (आंच), कलकत्ता ।
पूर्वी कलकत्ता आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-1, कलकत्ता ।
आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-11, कलकत्ता ।
आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), बटना ।

प्रौद्योगिकी
12/2/99
प्रौद्योगिकी भारद्वाज

उप-सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं० - 10/99
सेवा में,

का० सं० 187/1/99-आयकर निध 10-1

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली ।